



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-06102025-266690
CG-CG-E-06102025-266690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4306]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947

No. 4306]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 27 सितम्बर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4426(अ)— केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 2560 तारीख 13 जून 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सरगबुंदिया – मड़वारानी के बीच तीसरी एवं चौथी रेलवे लाईन (2 ग 6¹⁰ कि. मी.) के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 2560, तारीख 26 जून 2025 का दैनिक भास्कर समाचार पत्र(हिन्दी), बिलासपुर संस्करण, कोरबा बालको टाइम्स (हिन्दी), कोरबा संस्करण, द हितवाद (अंग्रेजी), रायपुर संस्करण, लोकसदन (हिन्दी), कोरबा संस्करण एवं संवाद साधना (हिन्दी), कोरबा संस्करण में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंगत अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20(ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्नो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अ) रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मड़वारानी—सरगंबुदिया तीसरी और चौथी रेलवे लाइन

(2×6.10 कि.मी.) के अधिग्रहण के लिए संक्षिप्त विवरण. (पूरक – I)

1. ग्राम :- बरपाली प.ह.न.: 06, तहसील: बरपाली, जिला: कोरबा (छ.ग.)

क0	खसरा नं0	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे0) में	भूमि स्वामी का नाम
1	1108/8	निजी	कृषि	0.008	नाम : फुलसिंह पिता का नाम : भोकलो
2	1109/4	निजी	कृषि	0.005	नाम : फुलसिंह पिता का नाम : भोकलो
3	1109/1	निजी	कृषि	0.006	नाम : फुलसिंह पिता का नाम : भोकलो
4	786/1/ख	निजी	कृषि	0.120	नाम : फुलसिंह पिता का नाम : भोकलो नाम : रामकुंवर पति का नाम : भोकलो
5	842/19	निजी	कृषि	0.016	नाम : मदनलाल पटेल पिता का नाम : नानहु-नर्मदा
6	1126/3	निजी	कृषि	0.016	नाम : ललिता कँवर पति का नाम : चुरावन सिंह कँवर
7	1108/7	निजी	कृषि	0.006	नाम : तेरस बाई पति का नाम : विसंभर सिंह
8	1108/6	निजी	कृषि	0.006	नाम : शिवराम कुजूर पिता का नाम : सोनसाय
9	1108/5	निजी	कृषि	0.006	नाम : सियाराम पिता का नाम : हउरा लकड़ा
10	1108/4	निजी	कृषि	0.006	नाम : दिलेश्वर सिंह पिता का नाम : बुधवार
11	865/4	निजी	कृषि	0.072	नाम : गोवर्धन प्रसाद पिता का नाम : सवानसिंह
12	783	निजी	कृषि	0.036	नाम : भुनेश्वरी बाई पति का नाम : रूपनारायण जांगड़े
कुल भूमि (बरपाली)					0.303 हे0

[फा. सं. सी.ए.ओ./सि/बी.एस.पी/मड़वारानी—सरगंबुदिया/20E]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 27th September, 2025

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 4426(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 2560, dated the 13th June 2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **3rd & 4th Railway line between Saragbundia and Madwarani of South East Central Railway (2x6.1 Km)** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 2560, dated 13th June, 2025, was published in the daily newspapers, Dainik Bhaskar (Hindi) Korba edition, Korba Balco Times (Hindi) Korba edition, The Hitavada (English) Raipur edition, Loksadan (Hindi) Korba edition and Samvad sadhana (Hindi) Korba edition on 26.06.2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And whereas, no Objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section 1) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

A. 3rd & 4th Railway line between Saragbundia and Madwarani of South East Central Railway (2x6.1 Km), Supplementary-I Brief description for the acquisition.

1. Village Name - Barpali, Tehshil - Barpali, District - Korba (C.G.)

Sl. No	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (In Hect)	Name of Land Owner
1	1108/8	Pvt.	Agri.	0.008	Name: Fulsingh Gond S/o: Bhoklo
2	1109/4	Pvt.	Agri.	0.005	Name: Fulsingh Gond S/o: Bhoklo
3	1109/1	Pvt.	Agri.	0.006	Name: Fulsingh Gond S/o: Bhoklo
4	786/1/ख	Pvt.	Agri.	0.120	Name: Fulsingh Gond S/o: Bhoklo Name: Ramkunwar W/o: Bhoklo
5	842/19	Pvt.	Agri.	0.016	Name: Madanlal Patel S/o: Nanhu-Narmada
6	1126/3	Pvt.	Agri.	0.016	Name Lalita Kenwar W/o: Churavan Singh Kunwar
7	1108/7	Pvt.	Agri.	0.006	Name Teras Bai W/o: Bishambhar Singh
8	1108/6	Pvt.	Agri.	0.006	Name: Shivram Kujur S/o: Sonsay
9	1108/5	Pvt.	Agri.	0.006	Name: Siyaram S/o: Haura Lakda
10	1108/4	Pvt.	Agri.	0.006	Name: Dileshwar Singh S/o: Budhwar
11	865/4	Pvt.	Agri.	0.072	Name: Govardhan Prasad S/o: Sawan Singh
12	783	Pvt.	Agri.	0.036	Name: Bhuneshwari Bai W/o: Rupnarayan Jangde

[F. No. CAO/C/BSP/Madwarani-Saragbundia/20E]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con.)